संख्या: Bus Disposal/2010-11

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई०एस०ओ० 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

निविदा-सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा निम्नलिखित वाहन जहाँ है जैसा है के आधार पर विक्रय हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं०	विवरण	गाडी नं०	मॉडल नं०	आरक्षित मूल्य
1.	स्टाफ बस (प्रीमियर रोड़ मास्टर मॉडल-पी० एफ० एस० टी० 122/54/एस० एफ०)	URD-6498	1979	रू०1,60,000/-
2.	स्टाफ कार (अम्बेस्डर)	UP-78 S-8451	1998	रू०18,000/-

निविदायें निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के कार्यालय के टेन्डर बॉक्स में दिनांक 27.02.2015 अपरान्ह 1:00 बजे तक जमा कर दे। कार एवं बस का आरक्षित मूल्य उपर्युक्त अंकित है। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ अंकित आरक्षित धनराशि का 10% का बैक ड्राफ्ट जो कि निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के पक्ष में देय हो, जमानत राशि के रूप में संलग्न होना चाहिए। जमानत राशि रहित निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। बस एवं कार के लिए अलग-अलग निविदा से स्वीकार की जाएगी। मुहरबन्द लिफाफे पर कार एवं बस विक्रय हेतु निविदा, पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर अवश्य अंकित करें। आर० टी० ओ० से नाम स्थानांतरित कराने में व्यय, अन्य खर्चे इत्यादि निविदाकर्ता को ही स्वयं वहन करना होगा। निविदा दिनांक 27.02.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित निविदाकताओं के सम्मुख प्रशासनिक सह क्रय एवं विक्रय अधिकारी के कार्यालय में खोली जायेगी। कार एवं बस के निरीक्षण हेतु कार्यालय कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) में 10:30 बजे सुबह से सायं 5:00 बजे तक केयर टेकर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर से सम्पर्क कर सकते है।

निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, बिना कारण बतायें किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है। निविदा के अन्तर्गत अधिकतम (Respective) राशि भरने वाले आवेदक का प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि का पूरा मूल्य स्वीकृति के पॉच कार्य दिवसों के भीतर जमा करना होगा। अन्यथा जमा की गयी जमानत राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा सशर्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। स्वीकार उच्चतम बोली धारक के जमा किये जाने वाले डी० डी० की पूरी राशि जमा होने एवं KYC Compliance के पश्चात कार एवं बस की डिलीवरी दी जायेगी। यह निविदा-सूचना संस्थान के वेबसाइट http://nsi.gov.in पर भी उपलब्ध है।

29/1/15

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी